न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी -- श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
36 / 2022	2022 / 83	18.03.2022	31.08.2022

उनवान प्रकरण

1. रामेश्वर पुत्र भूराराम उम्र 55 साल
2. शंकरलाल पुत्र नारायण उम्र 52 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——वादी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र भूराराम उम्र 65 साल
2. रामवतार पुत्र भूराराम उम्र 60 साल
3. शिशपाल पुत्र भूराराम उम्र 45 साल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण उम्र 45 साल

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री झाबर सिंह भारणी, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760 लगायत 1765, 1767 लगायत 1771 कुल किता–11 कुल रक्बा 7.2700 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1766 रक्बा 1.3000 हैक्टर तन ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसमें 1/12 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या– 2 एवं प्रतिवादी संख्या– 4 के पिता मृतक नारायण पुत्र बींजा एवं वादी संख्या– 1 व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के पिता मृतक भूरा पुत्र बींजा के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता– 2 कुल रक्बा 1.6900 हैक्टर तन ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या– 2 एवं प्रतिवादी संख्या– 4 के पिता मृत्तक नारायण पुत्र बींजा एवं वादी संख्या– 1 व प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 के पिता मृत्तक भूरा पुत्र बींजा के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1756 कुआं रक्बा 0.0200 हैक्टर तन ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या– 2 एवं प्रतिवादी संख्या– 4 के पिता मृत्तक नारायण पुत्र बींजा एवं वादी संख्या– 1 व प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 के पिता मृतक भूरा पुत्र बींजा के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 1 ता 4 आपस में एक ही परिवार खानदान से होकर पूर्वज बींजा के वारिसान है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियां एवं अन्य कृषि भूमियों अवस्थित तन ग्राम हांसपुर खसरा नम्बर 494, 543, 552 का पारिवारिक सैटिलमेन्ट, काश्त [illegible] सुविधा के अनुसार काफी समय पूर्व ही कर लिया था। जिसके अनुसार उक्त वर्णित कृषि [illegible] मृतक नारायण पुत्र बींजा के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमियां वादी संख्या–2 शंकर[illegible] पुत्र नारायण के हक हिस्सा व

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त में आयी हुयी है एवं मृतक भूरा पुत्र बींजा के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमियां वादी संख्या–1 रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुयी है। इसलिए उक्तानुसार वादी संख्या– 1 एवं वादी संख्या– 2 अपने नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है एवं कृषि भूमियों अवस्थित तन ग्राम हांसपुर खसरा नम्बर 494, 543, 552 प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी इनके नाम राजस्व रिकार्ड में वाद पत्र उनवानी शिशपाल बनाम् रामगोपाल वगैरह, मु.नं. 64/2017 में राजीनामा प्रस्तुत होकर निर्णय–डिक्री दिनांक 26–10–2021 के आधार पर दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने को कोई अधिकार किसी किश्म का नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20–02–2022 को इन्कार हो गये एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 4 ने वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 5 की सम्मन तामील साधारण तरी[illegible] तन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय [illegible] अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादीगण के [illegible] में सहमति प्रदान करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

11/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मृत्तक पिता भूरा पुत्र बींजा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1756 कुआं रक्बा 0.9000 हैक्टर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम मृत्तक पिता के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। पक्षकारान् के पारिवारिक सैटलमेंट काश्त की सुविधा अनुसार काफी समय पूर्व होना तथा उसी अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी [illegible] खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बहक राजीनामा स्वीकार [illegible] दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760 लगायत 1765, 1767 लगायत 1771 कुल किता–11 कुल रक्बा 7.2700 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1766 रक्बा 1.3000 हैक्टर में 1/24 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक नारायण पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी संख्या– 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव 1/24 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक भूरा पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी संख्या– 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता– 2 कुल रक्बा 1.6900 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक नारायण पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या–2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव 1/2 हिस्सा की खातेदारी से मृतक भूरा पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या– 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1756 कुंआ रक्बा 0.0200 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृतक नारायण पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या– 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृतक भूरा पुत्र बींजा का नाम हजफ किया जाता है (तथा इसके स्थान पर वादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाता है।) इसी अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड [illegible] जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से [illegible] कब्जे काश्त में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर))

मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

31/08/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/08/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested